न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 14/2024

अपीलार्थी

1. श्री तलसाराम पुत्र श्री दलाजी जाति लुहार निवासी सिवेरा के कायम मुकाम–
1.1 श्रीमती सुमटीबाई पत्नि स्व. श्री तलसाराम जाति लुहार निवासी सिवेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
1.2 श्री कैलाशचन्द्र पुत्र स्व. श्री तलसाराम जाति लुहार निवासी सिवेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
1.3 श्री भंवरलाल पुत्र स्व. श्री तलसाराम जाति लुहार निवासी सिवेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
1.4 सुश्री दुर्गाबेन पुत्री स्व. श्री तलसाराम जाति लुहार निवासी सिवेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
1.5 सुश्री कलावती पुत्री स्व. श्री तलसाराम जाति लुहार निवासी सिवेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. श्रीमती होली पुत्री श्री वनाजी पत्नि श्री सवाजी जाति लुहार निवासी जनापुर के कायम मुकाम–
1.1 श्रीमती पुष्पा पत्नि श्री प्रकाशजी जाति लुहार निवासी अजारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
1.2 श्रीमती दारमी पुत्री श्री सवाराम जाति लुहार निवासी पिण्डवाडा जिला सिरोही।
1.3 श्री नैनाराम पुत्र श्री सवाराम जाति लुहार निवासी जनापुर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
1.4 श्री विनोद पुत्र श्री सवाराम जाति लुहार निवासी जनापुर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्रीमती चम्पा पुत्री श्री वनाजी पत्नि श्री वेलाजी जाति लुहार निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्रीमती मंजुला पुत्री श्री वनाजी पत्नि श्री बाबूजी जाति लुहार निवासी जनापुर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्रीमती सुसा पुत्री श्री वनाजी पत्नि श्री सीताजी जाति लुहार निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. श्री प्रतापराम गोदीपुत्र श्री वनाजी जाति लुहार निवासी सिवेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :
1. सुश्री कोमल शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या एक से चार की ओर से।

जिला कलेक्टर, सिरोही

.....पेज दो पर

Scanned with CamScanner

3. श्री प्रशान्त शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या पांच की ओर से।
4. नायब तहसीलदार सिरोही (पेरोकार सरकार) रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक : 18.08.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2135 दिनांक 16.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की, जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक से चार की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या छः की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। अपील की सुनवाई के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या पांच श्री प्रतापराम ने पक्षकार बनने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया, जिस पर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा श्री प्रतापराम को रेस्पोडेन्ट संख्या पांच के रूप में पक्षकार बनाए जाने के आदेश किए गए। तद्नुसार संशोधित अनवान प्रस्तुत हुआ।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता सुश्री कोमल शर्मा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मौजा पिण्डवाडा पटवार हल्का पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में खसरा संख्या 409 रकबा 1.06 बीघा कृषि आराजी आई हुई है। यह कि स्वर्गीय दलाजी के तीन पुत्र श्री वनाराम, अपीलान्ट श्री तलसाराम एवं श्री ओटाराम हैं एवं उपरोक्त वर्णित राजस्व आराजी में वनाराम, अपीलान्ट तलसाराम, एवं ओटाराम प्रत्येक का क्रमशः 1/3 हक हिस्सा था, परन्तु उपरोक्त राजस्व आराजी में से रेस्पोड़ेन्टान के पिता स्वर्गीय वनाराम ने अपना हिस्सा अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 02.12.1992 को बेचान कर उपरोक्त आराजी के अपने हिस्से का कब्जा अपीलान्ट को सुपुर्द कर दिया था, तब से अपीलान्ट उपरोक्त भूमि के 2/3 हिस्से का मालिक व काबिज हैं। यह कि उपरोक्त भूमि के अपने हिस्से का श्री वनाराम द्वारा अपीलान्ट को बेचान करने के करीब 8 वर्ष पश्चात सन 2000 में रेस्पोड़ेन्टान संख्या एक से चार द्वारा बिना किसी हक व अधिकार के श्री वनाराम द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में किये गये उपरोक्त वर्णित राजस्व भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 02.12.1992 को निरस्त करवाने हेतु एक वाद श्री सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्ड़वाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत किया एवं उक्त न्यायालय द्वारा उस वाद को अपीलान्ट के विरूद्ध डिक्री किया जाकर अपीलान्ट के हक में उपरोक्त विवादित राजस्व भूमि का वनाराम द्वारा करवाये गये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को निरस्त करने की डिक्री दिनांक 29.08.2011 को जारी की गई। यह कि श्री वनाराम द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में किये गये उपरोक्त वर्णित राजस्व भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 02.12.1992 को निरस्त करने बाबत् श्री सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्ड़वाड़ा के न्यायालय की डिक्री दिनांक 29.08.2011 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अन्दर मयाद एक अपील श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश आबूरोड़ के न्यायालय में प्रस्तुत की गई तथा अपील के संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का भी अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलान्ट न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायालय आबूरोड़ द्वारा दिनांक 29.09.2011 को स्थगन आदेश जारी किया

जिला कलेक्टर, सिरोही

.....पेज तीन पर

Scanned with CamScanner

गया हैं। यह कि रेस्पोड़ेन्ट संख्या एक से चार के परिवार वालों ने हल्का पटवारी पिण्ड़वाड़ा एवं रेस्पोड़ेन्ट संख्या छः के साथ मेल–मिलाप कर कानून के विपरित जाकर उपरोक्त अपीलान्ट न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी रहने के वक्त में दिनांक 24.09.2011 को पुरानी तारीख में राजस्व रेकर्ड में हेर–फेर कर दिनांक 16.09.2011 की तारीख में उपरोक्त नामान्तरण दर्ज किया हैं, जो पूर्णतः विधिविरूद्ध, एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित हैं तथा निरस्त किये जाने योग्य हैं। यह कि श्री सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्ड़वाड़ा के न्यायालय की डिक्री दिनांक 29.08.2011 के विरूद्ध प्रथम अपील अपीलान्ट का कानूनी एवं संवैधानिक अधिकार हैं, जिसके उपरान्त रेस्पोड़ेन्ट संख्या छः ने रेस्पोड़ेन्ट संख्या एक से चार को अवैध फायदा पहुंचाने के बदइरादे से अपील न्यायालय का स्थगन आदेश जारी रहने के उपरान्त अपील प्रस्तुत करने की म्याद अवधि के दरम्यान ही बैक डैट में उपरोक्त आलोच्य नामान्तरण आदेश पारित करने में भारी कानूनी एवं वाकयाती भूल की हैं, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अलोच्य आदेश कानूनन गलत हैं एवं निरस्त किये जाने योग्य हैं। यह कि श्री सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्ड़वाड़ा के न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 02.12.1992 को निरस्त करने के आदेश एवं डिक्री दिनांक 29.08.2011 में कहीं पर भी विवादित राजस्व भूमि पर वादीगण अर्थात रेस्पोड़ेन्ट संख्या एक से चार के मालकी होने अथवा राजस्व रेकर्ड में उनके हक में नामान्तरकरण अथवा खातेदारी दर्ज करने बाबत आदेश नहीं दिया था हालांकि उपरोक्त आदेश पर भी अपीलान्ट न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिया गया हैं, परन्तु उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोड़ेन्ट संख्या छः ने विधि विरूद्ध रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या एक से चार को अवैध फायदा पहुंचाने के बदइरादे से उनके साथ मेल–मिलाप कर उपरोक्त नामान्तरण स्वीकृत करने का आदेश जारी किया हैं, जो पूर्णतः गलत, विधिविरूद्ध एवं असंवैधानिक हैं, जो काबिले निरस्त हैं। यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिण्डवाड़ा ने श्री सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्ड़वाड़ा के न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 02.12.1992 को निरस्त करने के आदेश एवं डिक्री दिनांक 29.08.2011 की गलत व्याख्या कर एवं उक्त निर्णय व डिक्री पर अपना गलत निर्वचन कर अपने अधिकारों से परे जाकर अपीलान्ट न्यायालय के स्थगन आदेश होने के बावजूद रेस्पोड़ेन्ट संख्या एक से चार से मेल–मिलाप कर बैक डेट में उपरोक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने में भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की हैं, जिससे अधीन न्यायालय तहसीलदार पिण्ड़वाड़ा द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने का पारित आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक से चार की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा ने दौराने बहस निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कानूनन व वाक्यातन गलती नहीं की गई है। यह है कि वादग्रस्त कृषि आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक से चार के पूर्व रसाधिकारी का कब्जा काश्त था एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान काबिज है। यह कि वादग्रस्त कृषि आराजी का नामान्तरकरण माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 20/2000 अनवान श्रीमती होली पुत्री वनाजी वगैराह बनाम तलसा पुत्र दलाजी में पारित आदेश दिनांक 29.08.2011 की अनुपालना

.....पेज चार पर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

में विक्रय विलेख संख्या 384 दिनांक 02.12.1992 निरस्त होने से डिक्री की पालना में तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा उक्त वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 2135 दिनांक 16.09.2011 को स्वीकृत किया गया है, जिसमें तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कानूनन एवं वाक्यातन गलती नहीं की गई है। यह है कि सिविल न्यायालय के निर्णय के पश्चात राजस्व अधिकारियों का यह दायित्व था कि वे न्यायालय आदेश की पालना करें और उसी के आधार पर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, जिसमें राजस्व अधिकारियों द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट को हैरान–परेशान करने की नियत से यह अपील प्रस्तुत की है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील खारिज किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या पांच की ओर से अधिवक्ता श्री प्रशान्त शर्मा ने दौराने बहस निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण आदेश पारित करने में कानूनन व वाक्यातन भूल की गई है। यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या पांच श्री प्रतापराम को श्री वनाराम ने गोदीपुत्र लिया हुआ था, परन्तु उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी के राजस्व रेकर्ड में श्री प्रतापराम का नाम ही अंकित नहीं किया गया है, जबकि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश पिण्डवाडा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या पांच श्री प्रतापराम को श्री वनाजी का गोदीपुत्र माना है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाकर उक्त नामान्तरकरण को खारिज करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या छः की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कानूनन व वाक्यातन गलती नहीं की गई है। माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 20/2000 अनवान श्रीमती होली पुत्री वनाजी वगैराह बनाम तलसा पुत्र दलाजी में पारित आदेश दिनांक 29.08.2011 की अनुपालना में विक्रय विलेख संख्या 384 दिनांक 02.12.1992 निरस्त होने से डिक्री की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 2135 दिनांक 16.09.2011 को स्वीकृत किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई आधार नहीं होने से अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जाना फरमावें।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2135 दिनांक 16.09.2011 की सत्यापित प्रति का भी अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा पिण्डवाडा पटवार हल्का पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में खसरा संख्या 409 रकबा 1.06 बीघा कृषि आराजी आई हुई है। उक्त कृषि आराजी का रेस्पोडेन्ट संख्या एक से चार के पक्ष में दायर नामान्तरकरण संख्या 2135 को तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा द्वारा मुकदमा संख्याः 20/2000 अनवान श्रीमती होली पुत्री वनाजी वगैराह बनाम तलसा पुत्र श्री दलाजी में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2011 की पालना में दिनांक 16.09.2011 को स्वीकृत किया गया है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा द्वारा मुकदमा संख्याः 20/2000 अनवान श्रीमती होली पुत्री वनाजी वगैराह बनाम तलसा पुत्र श्री दलाजी में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2011 के विरूद्ध

.....पेज पांच पर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 2 आबूरोड जिला सिरोही के समक्ष अपीलांट द्वारा दी0 अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 2 आबूरोड जिला सिरोही द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा द्वारा मुकदमा संख्याः 20/2000 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2011 को अपास्त कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को उनके समक्ष मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उभय पक्ष को मौका देकर पुनः निर्णय व डिक्री पारित किए जाने हेतु लौटाई गई है। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 2 आबूरोड जिला सिरोही द्वारा पत्रावली लौटाए जाने पर उक्त प्रकरण न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा में अभी लम्बित है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 2135 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा द्वारा मुकदमा संख्याः 20/2000 अनवान श्रीमती होली पुत्री वनाजी वगैराह बनाम तलसा पुत्र श्री दलाजी में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2011 की पालना में स्वीकृत किया गया है तथा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा के उक्त आदेश दिनांक 29.08.2011 के विरूद्ध उपरोक्त अपीलांट द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 2 आबूरोड जिला सिरोही में प्रस्तुत दी0 अपील संख्या 10/2015 में पारित डिक्री दिनांक 12.09.2017 के द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा के उक्त आदेश दिनांक 29.08.2011 को अपास्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था, जो वर्तमान में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा में विचाराधीन है। चूंकि तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 2135 दिनांक 16.09.2011 न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा के आदेश दिनांक 29.08.2011 की पालना में स्वीकृत किया गया था, जबकि न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 29.08.2011 को अपीलांट न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 2 आबूरोड जिला सिरोही में प्रस्तुत दी0 अपील संख्या 10/2015 में पारित डिक्री दिनांक 12.09.2017 के द्वारा अपास्त कर प्रकरण को पुनः न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा को सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। अतः न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 2 आबूरोड जिला सिरोही द्वारा उक्त आदेश दिनांक 29.08.2011 को अपास्त किए जाने से तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2135 दिनांक 16.09.2011 परिपोषणीय प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2135 दिनांक 16.09.2011 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिण्डवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित उपरोक्त वादग्रस्त कृषि आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा में विचाराधीन वाद की वास्तविक वस्तुस्थिति का पता कर एवं न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा द्वारा इस प्रकरण में पारित पुनः आदेश की पालना में नए सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही संपादित करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner